राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक/अभि./सीटीएडी/सोलर पेयजल योजना/18–19/12830–41 दिनांक : 11.03.2019

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : स्काउट गाईड शिविर केन्द्र उदयनिवास पर जल व्यवस्था हेतु टंकी निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 41449–55 दिनांक 19.12.2018 द्वारा जिला मुख्यालय उदयपुर पर स्काउट गाईड शिविर केन्द्र उदयनिवास पर जल व्यवस्था हेतु टंकी निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति अनुमानित लागत 5.56 लाख जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी रिपोर्ट मय ड्राईग, विस्तृत तकमीना व तकनीकी स्वीकृति (EE/PHED/Ditt.Rural Division/UDR/94/02.01.2019) प्राप्त होने पर राशि रू. 6.18 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय शासन की स्वीकृति संख्या–17/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जावेगा :–

शर्तेः–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागीय बजट में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे।तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
5. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्काउट गाईड विभाग करेगा।
6. ट्यूबवेल वेधन/जल स्त्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्रमांक / अभि. / सीटीएडी / सोलर पेयजल योजना / 18–19 /   दिनांक :

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–17 / 2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राशि रू. 6.18 लाख की 80 प्रतिशत राशि रू. .4.94 लाख हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
10. सहायक राज्य संगठन आयुक्त, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड्स मण्डल मुख्यालय जिला उदयपुर।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई-मेल : comm.tad @gmail.com.Website www.tad.rajasthan.gov.in